110 .50 करोड़ ऋण में धोखाधड़ी

मेसर्स नारायण निर्यात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर ईडी की कार्रवाई

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 10 दिसंबर. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भोपाल ने मेसर्स नारायण निर्यात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर बड़ी कार्रवाई की है.

ईडी की जांच में पता चला कि कैलाश चंद्र गर्ग द्वारा नियंत्रित नारायण निर्यात इंडिया प्रा. लि. ने धोखाधड़ी से लगभग 110.50 करोड़ रुपये का ऋण लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) और एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट (ईपीसी) के माध्यम से बैंकों के एक समूह से प्राप्त किया, जिसका नेतृत्व यूको बैंक कर रहा था. हालांकि इन निधियों को वैध व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने के रूप में दिखाया गया था. जांच में यह स्थापित हुआ कि कोई वास्तविक खरीद या निर्यात नहीं किया गया था. इसके बजाय, व्यावसायिक गतिविधियों का झूठा आभास कराने के लिए अंबिका सॉल्वैक्स लिमिटेड की विभिन्न समूह संस्थाओं के माध्यम से धनराशि को चक्रीय लेनदेन में भेजा गया. ऋण राशि को बाद में व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट लाभों के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसमें अचल संपत्तियों में निवेश और कैलाश चंद्र गर्ग द्वारा नियंत्रित संबंधित कंपनियों और फर्मों के एक जटिल नेटवर्क के माध्यम से नकद निकासी शामिल थी, जिससे विनियोजित धन को छिपाया और मनी लॉन्ड्रिंग की गई. इससे पहले ईडी ने इस मामले में दो अंतरिम कुर्की आदेश जारी किए थे, जिनके तहत 27.67 करोड़ रुपये मूल्य की 37 अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया था. ईडी ने कैलाश चंद्र गर्ग के साथ 14 अन्य संबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत विशेष न्यायालय (पीएमएलए), इंदौर के समक्ष 17 नवंबर को अभियोग शिकायत (पीसी) दायर की है. इस मामले में कोर्ट ने 5 दिसंबर को धन शोधन के अपराध का संज्ञान लिया है. ईडी ने सीबीआई, एसी-४, व्यापम, भोपाल द्वारा आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की. इसके बाद सीबीआई ने नारायण निर्यात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और कई अन्य संबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया.

फर्जी दस्तावेज से बनवाए पासपोर्ट

भोपाल. कोलार इलाके में दो बांग्लादेशी नागरिकों ने फर्जी दस्तावेजों से पासपोर्ट बनवाए हैं. फरार आरोपियों के मामले का खुलासा होने पर पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है. मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों ने साल 2014 में फर्जी किरायानामा दिखाकर अपने स्थानीय वोटर कार्ड, आधार और पासपोर्ट बनवाए थे. आरोपियों के खिलाफ की गई जांच में उनके दस्तावेज फर्जी पाए गए. आरोपियों की तलाश की जा रही है. सामने आई जानकारी के मुताबिक आरोपी बांग्लादेशी नागरिक मो. रिहान अंसारी और मो. मकबूल अंसारी ने अगस्त 2014 में पासपोर्ट आफिस और थाने में फर्जी दस्तावेज जमा किए थे. आरोपियों ने राजवैद्य कॉलोनी कोलार रोड में एक मकान को किराए पर लेने का अनुबंध दिखाते हुए अपने प्रमाण पत्र तैयार कराए थे. आरोपियों ने इसके बाद अपना ठिकाना बदल लिया. हाल ही में इंटेलीजेंस ने पासपोर्ट के आधार पर दिए गए पते पर दोनों की जांच के निर्देश दिए. इसी दौरान उनके फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बने पासपोर्ट के मामले का खुलासा हुआ. मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश करने के साथ ही संबंधित मकान के मालिक से पूछताछ करने की कोशिश कर रही है. पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र ने कहा कि प्रथम दृष्टया जांच हुई ,इसमें तथ्य आए हैं. पुलिस जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई की जाएगी.

ट्रैफिक पुलिस ने वसूला 31 लाख जुर्माना

नीरज कुमार मिश्रा

भोपाल, 10 दिसंबर. ट्रैफिक पुलिस भोपाल ने बीते एक महीने में विशेष अभियान चलाते हुए साढ़े सात हजार से अधिक वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की है. पुलिस ने वाहन चालकों से इस दौरान 31 लाख रुपए से ज्यादा की राशि वसूली है.

ट्रैफिक पुलिस की तरफ से दिए गए आंकड़ों के अनुसार भोपाल में 1 नवंबर से 9 दिसंबर तक कुल 7,632 चालान काटे गए हैं. इनमें से हेलमेट नहीं पहनने वालों की संख्या 4,681, पिलियन रायड़र- 302, सीट बेल्ट के मामले 778, वनवे उल्लंघन-71, निर्धारित नंबर प्लेट के अभाव के 455 सहित अन्य धाराओं में चालानी कार्रवाई शामिल है. पिलियन राइडर अभियान की शुरूआत भोपाल में नंबर महीने से की गई है. इस विशेष अभियान के तहत दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले (4 साल से ऊपर के) सभी सवारों (पिलियन राइडर्स) के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है. इसके बावजूद भी शहर में पिलियन राइडर्स ट्रैफिक नियमों का उल्लघंन करते नजर आते हैं.

अभियान का उद्देश्य नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई कर सड़क हादसों और इसके कारण मौतों को कम करना है. अभियान के तहत दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठी सवारी दोनों के लिए हेलमेट जरूरी है. नियम का पालन नहीं करने पर 300 रुपए तक का जुर्माना वसूल किया जा रहा है.

> डीसीपी ट्रैफिक जितेन्द्र सिंह पवार ने बताया कि लोगों में जागरुकता लाने के उद्देश्य से चालानी कार्रवाई की जा रही है. इसके साथ ही लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील भी लगातार की जा रही है.

सीएम कल बताएंगे सरकार की उपलब्धियां

भोपाल 10 दिसंबर. मध्यप्रदेश सरकार का दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 12 दिसंबर को अपनी सरकार की उपलब्धियां मीडिया के जरिए साझा करेंगे.

डॉ यादव भोपाल में पत्रकार वार्ता के माध्यम से अपनी सरकार की दो वर्ष की उपलब्धियां बताएंगे. इस दौरान वे सरकार के आगामी कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी दे सकते हैं. इसके साथ ही राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य विभिन्न संभाग और जिला मुख्यालयों पर पत्रकार वार्ताओं के माध्यम से सरकार की उपलब्धियां बताने के साथ ही सरकार के आगामी कार्यक्रमों के बारे में बताएंगे.

पुलिस वाहन चालक को पर्याप्त विश्राम दें

पुलिस वाहन दुर्घटना से बचाव को लेकर निर्देश जारी

भोपाल,10 दिसंबर. पुलिस महानिदेशक मप्र कैलाश मकवाणा ने बुधवार को पुलिस वाहनों को दुर्घटना से बचाने के संबंध में जरूरी दिशानिर्देश जारी किए हैं.

बुधवार को सागर जिले में एक पुलिस वाहन भीषण हादसे का शिकार हो गया जिसमें 4 पुलिस आरक्षक शहीद हो गये और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया.

मकवाणा ने हादसे को लेकर कहा कि पूर्व वर्षों में भी यह देखा गया है कि देर रात्रि वाहन चालन में लंबी दूरी की यात्रा के दौरान वाहन चालक थक जाते हैं, जिसकी वजह से दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है. इकाई स्तर पर यह देखा जाना चाहिए कि वाहन की कंडीशन ठीक हो, वाहन चालक चालन के लिए अधिकृत हो और उन्हें कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या ना हो.उन्होंने निर्देश दिए कि रात्रि गश्त या किसी आकस्मिक स्थिति में रात्रि 12 बजे से सुबह पांच बजे के बीच लंबी दूरी की यात्रा से बचने के प्रयास किए जाएं.

भोपाल हवाईअड्डे पर विमान सेवाएं सामान्य

डीजीसीए ने किया निरीक्षण

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 10 दिसंबर. राजाभोज हवाईअड्डे की तरफ से बुधवार को सभी विमान सेवाओं के पूरी तरह से सामान्य होने की जानकारी दी गई. सभी निर्धारित सेवाएं सुचारू रूप से और बिना किसी बाधा के जारी हैं.

पिछले दो दिनों से किसी भी उड़ान के रद्द होने की सूचना नहीं मिली है और पिछले तीन दिनों से प्रतिदिन 4,000 से अधिक यात्रियों ने यात्रा की है, जो सामान्य यातायात बहाली को दर्शाता है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अधिकारियों की एक टीम ने भोपाल हवाई अड्डे का दौरा किया. इस मौके पर यात्रियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं और प्रमुख संपर्क बिंदुओं के कामकाज की समीक्षा की गई. निरीक्षण में चेक-इन काउंटर, सुरक्षा जांच क्षेत्र, टर्मिनल कतार और सामान वितरण प्रणाली शामिल रहीं.

> हवाईअड्डा निदेशक, सीआईएसएफ कमांडेंट, डीजीसीए निरीक्षक और पूरी परिचालन टीम जमीनी व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी कर रही है, यात्रियों की चिंताओं का तुरंत समाधान कर रही है और सुरक्षा, संरक्षा और सेवा मानकों का पालन सुनिश्चित कर रही है. भोपाल हवाई अड्डा सामान्य परिचालन बहाल करने में सहयोग के लिए सभी यात्रियों और एयरलाइन भागीदारों और सहायक एजेंसियों के अथक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त करता है.